

वित्तीय समावेशन योजनाओं पर विशेष संतृप्ति अभियान

चंडीगढ़, 16 अक्टूबर 2026: भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त-मंत्रालय द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं में सभी वंचितों को शामिल करने के उद्देश्य से दिनांक 21.10.2026 से 31.12.2026 तक हर ग्राम पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जायेगा। इस हेतु 15.10.2026 को श्री शौकत अहमद पैरी, IAS एवं विशेष सचिव वित्त, पंजाब सरकार, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब की विशेष बैठक आयोजित की जा चुकी है एवं सभी बैंकों एवं जिला कलक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। श्री पंकज सेतिया महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को इस अभियान में भाग लेने एवं वंचितों को हर योजना का लाभ देने तथा केवाईसी और नामांकन अद्यतन करने पर जोर दिया गया।

पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब के संयोजक श्री रामानुज प्रसाद द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना तथा उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। अभियान के अंतर्गत निम्न प्रमुख गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में पात्र नागरिकों का पंजीकरण।
- PMJJBY एवं PMSBY में आधार सीडिंग सुनिश्चित करना।
- पात्र नागरिकों के प्रधानमंत्री जन-धन योजना में नए खाते खोलना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों का प्रधानमंत्री जन-धन योजना में खाते खोलना।
- निष्क्रिय (Inoperative) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों को पुनः सक्रिय/ऑपरेटिव करना।
- मौजूदा PMJDY एवं अन्य बचत खातों का पुनःकेवाईसी (Re-KYC) पूरा करना।
- जहां लंबित हो, उन खातों में C-KYC ID जनरेट करना।
- बचत खातों तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं, जैसे लॉकर, में नामांकन (Nomination) अद्यतन करना।
- वित्तीय समावेशन योजनाओं एवं निष्क्रिय/दावारहित जमाराशियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव, सावधानियों तथा शिकायत/रिपोर्टिंग के संबंध में जागरूकता प्रदान करना।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब के उप महाप्रबन्धक रामकिशोर मीना द्वारा बताया गया कि अभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वित हेतु पंजाब राज्य की 13236 ग्राम पंचायतों एवं 166 शहरी स्थानीय निकाय में कैंप लगाने की तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं। पंजाब राज्य में सभी सरकारी

योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य, राज्य में कार्यरत सभी बैंको की 7669 शाखाओं एवं 98 वितीय जागरूकता केंद्रों के माध्यम द्वारा किया जा रहा हैं.

सुनील कुमार मुख्य प्रबंधक ने बताया कि यह अभियान वितीय समावेशन को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज के सभी वर्गों को औपचारिक बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आम जनता से अनुरोध कि इस विशेष अभियान के कैंपो में सम्मिलित होकर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष संतृप्ति अभियान का फायदा उठाये।
